कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांक- 2445 ई-आफिस / JJM / 2025-26 | 272 दिनाँक-..19./07./2025

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति-

दिनाँक-27/06/2025 को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी व पी0डी0 के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक जिला सभागार में की गयी। जिसमें अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के साथ सभी AE/JE जल निगम ग्रामीण,DPMU व दोनों फर्म वेलस्पन, VTL, TPIA व ग्राम प्रधान के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक में वेलस्पन एवं VTL कम्पनी के मैनेजर एवं अधिकारी/कर्मचारियों को निम्न निर्देश दिए गये-

1. यह कि स्कूल/आँगनबाडी केन्द्रों में गृह संयोजन कार्य में कोई प्रगति नहीं है। निर्देशित किया गया कि 15 जुलाई तक प्रत्येक दशा में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण किया जाए।
2. यह कि ग्राम प्रधान बहलोलपुर(ब्लाक-रामनगर) ने अवगत कराया कि हमारी ग्राम सभा में रोड रेस्टोरेशन का कार्य नहीं हुआ है। उक्त से असंतुष्ट हो कर कहा कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो वेलस्पन कम्पनी के प्रो0 मैनेजर श्री गौराचन्द्रमौलिक के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। निर्देशित किया कि अगली बैठक तक रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। उक्त ब्लाक का कार्य संतोषजनक न होने पर JE रामनगर का एक दिन वेतन आहरण न किया जाए।
3. कवही अजंनपुर (ब्लाक रामनगर) के ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि हमारी ग्राम सभा में रोड बैठ गयी है। वेलस्पन कम्पनी के मैनेजर को निर्देशित किया गया कि खराब रोड को यथाशीघ्र ठीक कराये तथा सम्बन्धित ग्राम सभा के श्री जितेन्द्र नाथ JE के विरुद्ध कार्यवाही करें।
4. ग्राम सभा साने मऊ (ब्लाक अकबरपुर) के ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया कि हमारी ग्राम में चैम्बर नहीं बना है पानी का रिसाव होता है। VTL कम्पनी के ब्लाक हेड श्री अरुण सिंह को निर्देशित किया कि इसे तत्काल ठीक करायें।
5. ग्राम सभा चैनापुर रामपुर (ब्लाक अकबरपुर) रामपट्टी के ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया कि जो जलापूर्ति की जा रही है उस पानी में कीड़े निकलते है एवं ग्राम पंचायत भवन पर कनेक्शन नहीं हुआ है। ISA सरलादित्य ग्राम विकास सेवा संस्थान बस्ती के द्वारा सही ढंग से जन जागरुकता का कार्य न किये जाने पर इनका भुगतान को रोका जाए एवं की गयी शिकायत को तत्काल ठीक कराया जाए।
6. बीरखेत(ब्लाक जहाँगीरगंज) प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे यहाँ लगभग 60%कनेक्शन नहीं हुआ है तथा रोड रेस्टोरेशन 02 कि0मी0 शेष है। निर्देशित किया कि कनेक्शन एवं रोड रेस्टोरेशनकार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए तथा सम्बन्धित ग्राम सभा के मैनेजर श्री अशीष कुमार के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उक्त ब्लाक का कार्य संतोषजनक न होने पर JE जहाँगीरगंज का एक दिन का वेतन आहरण न किया जाए।
7. ग्राम सभा मुकुन्दपुर(ब्लाक टाण्डा) के ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे ग्राम सभा में लीकेज है एवं पानी साफ नहीं आता है इसे यथाशीघ्र सही किया जाएतथा उक्त ब्लाक का कार्य संतोषजनक न होने पर JE टाण्डा का एक दिन का वेतन आहरण न किया जाए।
8. शेखपुरमनपुरा(ब्लाक रामनगर) के ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि पूरे ग्राम सभा में जलापूर्ति नहीं होती है। निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र OHT का निर्माण करके जलापूर्ति करायें।
9. जल निगम के सभी JE प्रतिदिन ग्राम प्रधानों से वार्ता करेंगे तथा जो कमी उनके द्वारा बतायी जायेगी उसे VTL/वेलस्पन कम्पनी को ठीक कराने के लिए देंगे तथा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये आख्या का अनुश्रवण करेंगे।

10. जल निगम के प्रत्येक JE भ्रमण रजिस्टर तैयार करें तथा प्रतिदिन 04-05 गाँव का भ्रमण करके ग्राम प्रधान से फीड बैक लेंगें एवं पायी गयी कमी का निस्तारण दोनों फर्मों के माध्यम से करायें।
11. VTL/वेलस्पन कम्पनी के मैनेजर अपने साइट इंजीनियर से प्रतिदिन एक ग्राम प्रधान से पेयजल परियोजना के कमी के सम्बन्ध में फीडबैक लेगें तथा पायी गयी कमी का निस्तारण करेंगे।
12. अधिशाषी अभियन्ता जल निगम ग्रमीण द्वारा अवगत कराया गया कि VTL कम्पनी के द्वारा वर्तमान में 256 स्कीम पर कार्य नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सभी ब्लाक के JE के माध्यम से फीडबैक लिया गया तो उन्होंने अवगत कराया कि बहुत से स्कीम पर OHT के निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है। निर्देशित किया गया कि मैन पावर बढ़ाकर OHT के निर्माण में प्रगति लायें।
13. यह कि जिन पेयजल परियोजनाओं में जलापूर्ति OHT के माध्यम से नियमित रुप से की जा रही है। निर्देशित किया गया कि दोनों फर्म उन ग्राम सभाओं के सम्बन्ध में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि अब कोई कमी नहीं है।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Digitally signed by
ANUPAM SHUKLA
Date: 18-07-2025
11:57:29
(अनुपम शुक्ला)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिलापेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर।
3. डी0पी0आर0ओ0 अम्बेडकरनगर।
4. अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।
5. दोनों फर्म वेलस्पन एवं VTL कम्पनी अम्बेडकरनगर को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिलापेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर